(166)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1697–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–05–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मझौली, जिला–सीधी प्रकरण क्रमांक–111/अपील/2006–07

.....

दयाशंकर तनय गुरू प्रसाद द्विवेदी
निवासी–ग्राम कमचड़, तहसील मझौली
जिला–सीधी(म0प्र0)

————आवेदक

विरूद्ध

1– रामेश्वर पुत्र नर्वदा राम
निवासी–ग्राम शिकरा तहसील मझौली
जिला–सीधी(म0प्र0)
2– मध्यप्रदेश प्रसाद

————अनावेदकगण

.....

श्री कुबेर प्रसाद अग्निहोत्री, अभिभाषक, आवेदक
श्री जे0पी0 सिंह, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मझौली, जिला–सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम शिकरा की प्रश्नाधीन भूमियां 12, 18, 19, 20, 21 जिसका अधिकार अभिलेख नवीन नम्बर 94, 108, 111, 129 एवं 109 का बटवारा नामांतरण किये जाने के संबंध में आवेदक दयाशंकर द्वारा आवेदन पत्र नायब तहसीलदार मझौली के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार ने उक्त

आवेदन स्वीकार करते हुये दिनांक 15.12.2006 से आवेदक के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित किया। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपील गय धारा 5 का आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी मझौली के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहाँ पर प्रकरण क्रमांक 111/अपील/2006–07 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 05–05–2015 से अवधी विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे। अतः प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । इस निगरानी में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी मझौली द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मानने में त्रुटि की है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के कार्यवाही विवरण में अनावेदक के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है, और न अनावेदक को सूचना ही दी गई है, जबकि अनावेदक हितबद्ध पक्षकार था । विचरण न्यायालय में आवेदक को चाहिये था कि वे अनावेदक को पक्षकार बनाते हुये बटवारा नामांतरण हेतु आवेदन पत्र पेश करते । इसीलिये अनावेदक की ओर से जानकारी दिनांक से प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मान्य करने में उचित कार्यवाही की है। अनुविभागीय अधिकारी ने म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पर विस्तार से विवेचना कर निर्णय पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है।

5/ अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के प्र0 क्र0 111/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 05–05–2015 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर